



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)
Web Site - www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

कर्मोंक 157/अका. /2020

बिलासपुर, दिनोंक 21 SEP 2020

कार्यालयीय ज्ञाप

विश्वविद्यालय कार्यालयीय ज्ञाप कर्मोंक 115/अकादमी/2020 दिनोंक 28-07-2020 एवं 133/अकादमी/2020 दिनोंक 19-08-2020 में उल्लेखित VET प्रवेश प्रक्रिया की तिथियों में COVID-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. UG पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण प्रवेश की अंतिम तिथि 23-09-2020 को बढ़ाकर 30-09-2020 किया जाता है।
2. कार्यालयीय ज्ञाप दिनोंक 19-08-2020 में निचले क्रम में उल्लेखित तिथियाँ तदनुसार एक-एक सप्ताह के लिये आगे बढ़ाई जाती हैं।

उपरोक्त उल्लेखित दोनों कार्यालयीय ज्ञापों के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक को मान.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठातागण, विद्यापीठें, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समन्वयक, आई.टी. प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं वेबपटल पर जारी किये जाने हेतु।
5. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
6. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अका0)